(3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 39 / 2024 दायर दिनांकः 13.02.2023

उनवान

1. अब्दुल सलीम मेव पि. अब्दुल हमीद मेव नि. दिलावरा हाल नि. रतलाम म.प्र.
2. शहजाद बी पुत्री अब्दुल हमीद पत्नि जब्बू खां नि. दिलावरा हाल नि. धार म.प्र.

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील पिडावा जिला झालावाड राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :–

वकील प्रार्थी :– श्री मोहम्मद अल्ताफ मेव

अप्राथी :– पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक : 24.10.2024

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण अब्दुल सलीम पि. अब्दुल हमीद एवं शहजाद बी पि. अब्दुल हमीद जाति मेव की ग्राम दिलावरा तहसील पिडावा के रहने वाले है। प्रार्थीगण के नाम ग्राम दिलवारा तहसील पिडावा में शामलाती लगानी आराजी खाता संख्या 5 एवं 89 स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का नाम कमशः गुड्डु पुत्र अब्दुल हमीदखां एवं खुरशेद पुत्री अब्दुल हमीदखां नि. दिलवारा अंकित है परन्तु प्रार्थीगण के आधार कार्ड व पेनकार्ड में वास्तविक एवं सही नाम अब्दुल सलीम मेव पुत्र अब्दुल हमीद एवं शहजाद बी पुत्री अब्दुल हमीद लिखा है। जिस कारण प्रार्थीगण को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है एवं कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि ग्राम दिलावरा के खाता संख्या 5 एवं 89 [illegible] 1 का सही व शुद्ध नाम अब्दुल सलीम मेव पुत्र अब्दुल [illegible] खां एवं प्रार्थी [illegible] का सही व शुद्ध नाम शहजाद बी पुत्री अब्दुल हमीद खां [illegible] करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 10:36:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(5)

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार की तलबी जर्ये सम्मन की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 11.09.2024 को पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र निम्नानुसार है :–

(1) ग्राम दिलावरा की खाता सं. 5 में कम सं. 5 पर खुरशेद पुत्र हमीद खां हिस्सा का 1/16 एव कम सं. 7 पर गुड्डु पुत्र हमीद खां का हिस्सा 1/16 अंतिम चौसाला सं. 2075–79 दर्ज है।

(2) ग्राम दिलावरा के खाता सं. 89 में कम सं. 8 पर खुरशेद पुत्र हमीद खां हिस्सा का 1/64 एव कम सं. 9 पर गुड्डु पुत्र हमीद खां का हिस्सा 1/64 अंतिम चौसाला सं. 2075–79 दर्ज है।

(3) जमाबन्दी संवत 2038–41 में हमीद खां का फोती का नामान्तरण नाबालिग गुड्डु खां, खुरशेद खां पुत्र हमीद खां के नाम दर्ज हुआ था जो कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मौके पर ग्रामवासियान से पूछताछ से निम्न जानकारी प्राप्त हुई –

(i) अब्दुल सलीम को बचपन में गुड्डु एवं शहजाद बी को खुरशेद के नाम से जाना जाता था। खुरशेद की शादी होने के पश्चात उनके आधारकार्ड, राशनकार्ड इत्यादि में शहजाद बी दर्ज किया गया। गुड्डु किशोर अवस्था में ग्राम दिलावरा से बाहर जाकर मध्यप्रदेश चले गये।

(ii) मजमे आम में प्राप्त जानकारी अनुसार जब अब्दुल सलीम एवं शहजाद बी के पिता के देहान्त हुआ तब परिवारजनों ने विरासत नामान्तरण में दोनो के नाम गुड्डु एवं खुरशेद खां दर्ज करवाया था।

(iii) ग्राम वासियान अनुसार मौके पर दोनो का वादग्रस्त आराजी में हिस्सेदारी अनुसार कब्जा है।

3. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में खातेदार प्रार्थी सं. 1 का आधार कार्ड (216305854033), पेनकार्ड (BQQPM 0529 P) एवं प्रार्थी सं. 2 का आधार कार्ड (83674561[illegible]), पेनकार्ड ([illegible]M) पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 10:36:27 IST
Reason: SelfAttested

4. वकील प्रार्थी एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(5)

आराजी ग्राम दिलावरा की जमाबन्दी संवत 2075–78 खाता संख्या 89 किता 1 रकबा 0.8094 है0 में प्रार्थी सं. 1 व 2 प्रत्येक का 1/64 हिस्सा एवं खाता संख्या 5 किता 3 रकबा 2.8960 है0 में प्रार्थी सं. 1 व 2 प्रत्येक का 1/16 हिस्सा मृतक खातेदार हमीद खां के फौती इन्काल दर्ज करते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा प्रार्थीया का बचपन का बोल चाल का नाम गुड्डु एवं खुरशेद दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीगण का सही नाम अब्दुल सलीम मेव पुत्र अब्दुल हमीद एवं शहजाद बी पुत्री अब्दुल हमीद है। प्रार्थीगण को बचपन में घर में लाड प्यार से गुड्डु एवं खुरशेद पुकारते थे। प्रार्थी सं. 1 का आधार कार्ड (216305854033), पेनकार्ड (BQQPM 0529 P) एवं प्रार्थी सं. 2 का आधार कार्ड (836745611174), पेनकार्ड (IEWPB 6933 M) प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रतीत है।

5. वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान आगे कथन किया प्रार्थीगण को घर के बोलते लाड प्यार के नाम गुड्डु एवं खुरशेद के नाम पुकारे जाने से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी प्रार्थीगण का नाम गुड्डु एवं खुरशेद दर्ज होने से प्रार्थीगण को भूमि का विकास करवाने व अन्य सरकारी सुख सुविधाओं, कृषि ऋण लेने व अन्य कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिसे दुरुस्त करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम दिलावरा की जमाबन्दी संवत 2075–78 खाता संख्या 89 किता 1 रकबा 0.8094 है0 एवं खाता संख्या 5 किता 3 रकबा 2.8960 है0 में प्रार्थी सं. 1 का नाम गुड्डु पुत्र हमीद खां के स्थान पर अब्दुल सलीम मेव पुत्र अब्दुल हमीद खां एवं प्रार्थी सं. 2 का नाम खुरशेद के स्थान पर शहजाद बी पुत्री अब्दुल हमीद खां दर्ज किया जावे।

6. पैरोकार सरकार द्वारा अभिभाषक प्रार्थी की बहस का समर्थन करते हुए अपने जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम दिलावरा में प्रार्थीगण के पिता का फौती नामान्तरण में प्रार्थीगण का बचपन का नाम दर्ज हुआ है। ग्रामवासियों के अनुसार प्रार्थीगण का सही नाम अब्दुल सलीम मेव पुत्र अब्दुल हमीद खां एवं शहजाद बी पुत्री अब्दुल हमीद खां है। अतः प्रार्थीगण का नाम दुरूस्त किये जाने में पैरोकार सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 10:36:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(6)

7. वकील प्रार्थी एवं पैराकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत ग्राम दिलावरा की जमाबन्दी संवत 2075–78 खाता संख्या 89 किता 1 रकबा 0.8094 है0 एवं खाता संख्या 5 किता 3 रकबा 2.8960 है0 में प्रार्थी सं. 1 का नाम गुड्डु पुत्र हमीद खां एवं प्रार्थी सं. 2 का नाम खुरशेद पि. अब्दुल हमीद खां दर्ज रिकार्ड है जबकि प्रार्थीगण के आधारकार्ड एवं पेनकार्ड में प्रार्थीगण के सही नाम अब्दुल सलीम मेव पुत्र अब्दुल हमीद खां एवं शहजाद बी पुत्री अब्दुल हमीद खां दर्ज है। पैरोकार सरकार ने स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण के नामों में यह त्रुटि प्रार्थीगण के पिता के फौती इन्तकाल दर्ज करते समय हुई है। प्रार्थी सं. 1 का बचपन का नाम गुड्डु है जबकि आधार कार्ड (216305854033), पेनकार्ड (BQQPM 0529 P) में सही नाम अब्दुल सलीम मेव पुत्र अब्दुल हमीद खां दर्ज है इसी प्रकार प्रार्थी सं. 2 का बचपन का नाम खुरशेद है जबकि आधार कार्ड (836745611174), पेनकार्ड (IEWPB 6933 M) में सही नाम शहजाद बी पुत्री अब्दुल हमीद खां दर्ज है। पैराकार सरकार ने स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण के नाम में यह त्रुटि फौती इन्ताकाल दर्ज करते समय हुई है। मृतक खातेदार हमीद खां के फौती नामा0 दर्ज करते समय प्रार्थीगण के नाम में राजस्व कार्मिक एवं ग्राम पंचायत द्वारा की गई त्रुटि को धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

8. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम दिलावरा की विवादित आराजी खाता संख्या 89 किता 1 रकबा 0.8094 है0 एवं खाता संख्या 5 किता 3 रकबा 2.8960 है0 के संबंध में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विप्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 बाबत दुरस्ती इन्द्राज न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी खाता संख्या 89 किता 1 रकबा 0.8094 है0 एवं खाता संख्या 5 किता 3 रकबा 2.8960 है0 में प्रार्थी सं. 1 का नाम गुड्डु पुत्र हमीद खां के स्थान पर अब्दुल सलीम उर्फ गुड्डु पुत्र अब्दुल हमीद खां एवं प्रार्थी सं. 2 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 10:36:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

नाम खुरशेद के स्थान पर शहजाद बी उर्फ खुरशेद पुत्री अब्दुल हमीद खां दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा
जिला झालावाड

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 10:36:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner